

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न सं. 1398

जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के रिक्त पद

1398 श्री संजय सेठ :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे भारत के उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत और खाली पदों की संख्या क्या है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत अधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ग) इन रिक्तियों के कारण मामलों के लंबित रहने पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) इन रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय विकास पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सम्पूर्ण भारत में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :

न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पद
उच्च न्यायालय (01.07.2026 तक)	1122	341
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (24.07.26 तक)	30868	7311

उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या का अनुपात निम्नलिखित

न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (01.07.2026 तक)	160	107
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी (24.07.26 तक)	3700	2618

(ग) और (घ) : न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के सिवाय, न्यायालयों में मुकदमों के लंबित रहने के कई कारण होते हैं। इन कारणों में, अन्य बातों के अतिरिक्त, सम्मिलित तथ्यों की जटिलता, जांच की गुणवत्ता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग, जैसे कि बार एसोसिएशन, जांच अभिकरण, गवाह और वादी, भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारी आदि सम्मिलित हैं।

उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है, जो प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचार करते समय सरकार के पास विचाराधीन नामों से संबंधित अन्य रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा जाता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को परामर्श के लिए भेजी जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए हों।

इसके अतिरिक्त, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का दायित्व है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं भर्ती संबंधी नियम और विनियम बनाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समयसीमाएं अनुबद्ध की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाएगा।

(ड) : संविधान का अनुच्छेद 312 में जिला न्यायाधीश से नीचे के पदों के सिवाय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना का उपबंध करता है। इस प्रस्ताव की विभिन्न चरणों में जांच की गई है और प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (न्यायमूर्ति शेटी आयोग) के साथ-साथ भारत के विधि आयोग ने अपनी 14वीं (1958), 77वीं (1978) और 116वीं (1986) रिपोर्टों में इसकी सिफारिश की है। नवंबर 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित एक व्यापक प्रस्ताव पर अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विचार किया गया, जहां यह निर्णय लिया गया कि आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता है और राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए। तथापि, एआईजेएस के गठन पर हितधारकों के बीच भिन्न-भिन्न मत सामने आए।

अप्रैल 2015 में आयोजित सम्मेलनों और बैठकों में इस मामले पर आगे विचार-विमर्श किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संबंधित उच्च न्यायालयों को विद्यमान प्रणाली के भीतर उचित तंत्र विकसित करने का अधिकार दिया जाए ताकि जिला न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जा सके। प्रमुख हितधारकों के बीच मतभेद जारी रहने के कारण, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।
